43 3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सूची उन्नयन के फलस्वरूप केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के बोर्ड स्तर के पदधारियों के वैयक्तिक वेतन में उन्नयन ।

अधोहस्ताक्षरी को यह बताने का निर्देश मिला है कि इस विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अपग्रेडेशन के शेड्यूल के प्रस्तावों पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के चयन बोर्ड (**पी एस ई बी**) के साथ परामर्श करके विचार किया जाए। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अपग्रेडेशन के शेड्यूल के अपग्रेडेशन के बाद, संबंधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बोर्ड स्तर के विद्यमान पदधारियों की उपयुक्तता का आकलन पुनः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है तथा बोर्ड की सिफारिशों तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद, डीपीई के दिनांक 18–12–2003 (प्रतिलिपि संलग्न) के समसंख्यक पत्र के प्रावधानों के क्रम में उच्च वेतनमान की अनुमति दी जाती है।

2. इस मामले में आगे विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया है कि अपग्रेड हुए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के पदधारियों के वैयक्तिक वेतन के उन्नयन का प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के अपग्रेडेशन संबंधी आदेश जारी के जाने के तीन माह के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के चयन बोर्ड को अग्रेषित कर दिया जाना चाहिए।

3. समस्त प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

4. इसे भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त है।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. **9(10)/99-**जीएम, दिनांक 25 अप्रैल, 2014)

*****